आ 451 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 15 अक्टूबर, 2008
आश्विन 23, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग–4

संख्या 2008/30-4–2008-25 पी-77
लखनऊ, 15 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना

सा०प०नि०–53

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 108 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री राज्यपाल निदेश देते हैं कि अधिसूचना संख्या 1772/30-4–2007-25पी-77, दिनांक 23 अगस्त, 2007 के अनुक्रम में अत्यकर महानिदेशक (जाँच), उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ को राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना में वर्णित श्रेणी 2-(क) में स्थापित करते हुए, उनको ले जा रहे वाहन की छत पर मध्य भाग में फ्लैशर युक्त नीली बत्ती, जब वाहन प्रदेश में कहीं भी ड्यूटी पर हो, के उपयोग की अनुज्ञा होगी।

आज्ञा से,
गोविन्दन नायर,
प्रमुख सचिव ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 612 राजपत्र 2008-(1302)-597 प्रतियां-(क० / आ०) ।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 7 सा०परिवहन- 2008-(1303)-250 प्रतियां-(क० / आ०) ।